

कार्यालय, अधीक्षक उत्पाद, किशनगंज।

बिक्री अधिसूचना

विभागीय पत्रांक:-12/बंदोबस्ती-45/2013-303 दिनांक:-22/01/2015 के आलोक में एवं समाहर्ता किशनगंज के आदेश दिनांक 02/03/2015 के निदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए जिले की शेष अबंदोबस्त खुदरा उत्पाद शराब दुकानों की बंदोबस्ती पुर्नगठित एकल दुकान का समूह लॉटरी पद्धति द्वारा प्रत्येक शनिवार को 3:00 बजे अपराह्न में समाहर्ता, किशनगंज द्वारा की जायेगी।

अबंदोबस्त दुकानों की सूची:-

पुर्नगठित समूह संख्या	दुकानों का नाम	मासिक अनुज्ञाशुल्क
2(क)	देशी शराब न0प0 किशनगंज नं0.2	3,72,870/-
2(ख)	कम्पोजिट सिंधिया चौक	1,67,990/-
2(ग)	कम्पोजिट मस्तान चौक	1,63,490/-
6(क)	देशी शराब न0प0किशनगंज नं0.6	3,72,870/-
6(ख)	देशी प्र0मु0 टेढ़ागाछ/मटियारी	78,300/-
6(ग)	कम्पोजिट बरबड़ा	1,87,940/-

इस पूरक बिक्री अधिसूचना की सारी शर्तें वही होगी जो अधीक्षक उत्पाद किशनगंज के कार्यालय ज्ञापांक 71/उ0, दिनांक 01/02/2014 द्वारा निर्गत बिक्री अधिसूचना में वर्णित है। इच्छुक आवेदक ज्ञापांक:-71 दिनांक:-01/02/2014 द्वारा जारी बिक्री अधिसूचना में निहित शर्तों से अपने आपको प्रतिबद्ध करते हुए अपना आवेदन पत्र अधीक्षक उत्पाद किशनगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय कार्यअवधि में जमा कर सकते हैं।

अधीक्षक उत्पाद,
किशनगंज।

ज्ञापांक114...../उ0, दिनांक03/3/15.....

प्रतिलिपि: आयुक्त उत्पाद बिहार पटना/सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/पुलिस अधीक्षक किशनगंज/अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज/जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज/सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी किशनगंज/जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/निरीक्षक उत्पाद किशनगंज/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद किशनगंज/सभी प्रबंधक देशी शराब/विदेशी शराब, कंपोजिट डिपो खगड़ा, किशनगंज को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित।

अधीक्षक उत्पाद,
किशनगंज।

03/3/15